मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

एफ क्रमांक सी-4-1-90-3-49 भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 1990

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय.— शासकीय सेवा में नियुक्ति—कर्मचारियों से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अन्तर्गत वचन-पत्र लेना।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का मादक पेयों तथा औषधियों के उपयोग के निषेध संबंधी नियम-23 निम्नानुसार है:—

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक रूपेण पालन करेगा;

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पियेगा, और न उसके प्रभाव में रहेगा;

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा ;

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासतः उपयोग नही करेगा ।

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपर्युक्त नियम की भावना के अनुरूप राज्य शासन द्वारा अब यह और निर्णय लिया गया है कि <u>राज्य शासन की विभिन्न सेवाओं के</u>(जिन पर ये आचरण नियम लागू हैं) विभिन्न पदों पर नियुक्ति पश्चात् संबंधित शासकीय सेवकों से संबंधित विहित प्राधिकारियों द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) लिया जाए कि वे <u>सार्वजनिक रूप से एवं अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन की अवधि में मद्यपान नहीं करेंगे।</u>

3. उपर्युक्त निर्देशों से आप अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अवगत करायें तथा घोषणा पत्र प्राप्त कर, उनकी गोपनीय चरित्रावलियों में संलग्न करें।

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की रसीद मेरे नाम से, इस पत्र का संदर्भ देते हुए मुझे भेजें और इन निर्देशों का पालन सम्पूर्ण हो जाने पर एक सम्पूर्ण पालन प्रतिवेदन भी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-
(इकबाल अहमद)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.